तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्या 02/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीता।मल में जारी हुए
05.5.2023	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल भगवानसिंह पुत्र थानसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– सियाणा, पुलिस थाना बागरा, जिला– जालोर, हाल– सिरोही रोड, पिण्डवाडा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह डाबी उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है। वह अब किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में संलिप्त नही है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 17.5.2021 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल भगवानसिंह पुत्र थानसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– सियाणा थाना बागरा, जिला– जालोर, हाल– सिरोही रोड, पिण्डवाडा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर में आबकारी अधिनियम की धारा 20/54 के तहत अपराध संख्या 377 दिनांक 08.10.2018 व 230 दिनांक 12.6.2017 को दर्ज हुए एवं आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 127 दिनांक 08.4.2019, 228 दिनांक 17.5.2021 व 211 दिनांक 03.6.2017 को दर्ज हुए। गैरसायल के विरुद्ध आबाकारी अधिनियम की धारा 19/54 व 20/54 के तहत दर्ज उक्त अपराधों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, इनमें से धारा 20/54 के तहत अपराध संख्या 230 दिनांक 12.6.2017 को दर्ज हुए एवं आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 127 दिनांक 08.4.2019 व 211 दिनांक 03.6.2017 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध टहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त पांचों अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इनमें गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 230/2017 एवं 211/2017 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 18.11.2021 व 18.11.2021 की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन दोनों अपराधों में गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट ... साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबं... में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 17.5.2021 के बाद गैरसायल के ... कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:22 IST
Reason: SelfAttested

सत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001,

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्या 02/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
	अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल भगवान सिंह पुत्र थानसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– सियाणा, थाना बागरा, जिला– जालोर, हाल– सिरोही रोड, पिण्डवाडा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, पिण्डवाडा से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, पिण्डवाडा की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, पिण्डवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। (के.आर.खौड) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:22 IST
Reason: SelfAttested